सूचना का अधिकार

TELEGRAM : SCINDRECH
दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373
(EPBAX) : 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : http:/www.dsir.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली – 110 016
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi - 110 016

सं. डीएसआईआर/आरडीआई और साइरोज रिन्यू./2021 दिनांक: 24.05.2021

आदेश

कृपया देश भर में कोविड़ 19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश सं. 40-3/2020-डीएम-।(ए), दिनांक 29 अप्रैल, 2021 देखें ।

2 कोविड़ 19 महामारी के जारी रहने के कारण, वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा उद्योगों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) की मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थागत आर एण्ड डी इकाई/इकाइयों की मान्यता की वैधता जो 31/03/2021 तक वैध थी, को 30/09/2021 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

3 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों की मौजूदा संस्थागत आर एण्ड डी इकाई/इकाइयों की पंजीकरण की वैधता जो 31/03/2021 तक वैध थी, को सरकारी अधिसूचना सं0 51/96-कस्टम दिनांक 23.07.1996; सं0 24/2007-कस्टम दिनांक 01/03.2007; सं0 43/2017-कस्टम दिनांक 30.06.2017; सं0 45/2017-सेंट्रल टैक्स (रेट) एवं 47/2017-इंटिग्रेटेड टेक्स (रेट) दिनांक 14.11.2017; सं0 09/2018 - सेंट्रल टैक्स (रेट) सं0 09/2018 यूनियन टेरीटरी टैक्स (रेट) एवं सं0 10/2018- इंटिग्रेटेड टेक्स (रेट) दिनांक 25.01.2018; तथा यथा-प्रयुक्त एवं स्टेट टेक्स (रेट) और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचनाओं के संदर्भ में सीमा-शुल्क छूट का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए 30.09.2021 तक बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

4. डीएसआईआर - मान्यता तथा पंजीकरण के निबंधन तथा शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

5. उद्योगों तथा साइरोज की आर एण्ड डी इकाइयों की 30.09.2021 से आगे की मान्यता तथा पंजीकरण नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

6. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रभात दत्ता

डा. पी.के. दत्ता
वैज्ञानिक-'एफ' एवं प्रमुख आरडीआई
ईमेल- pkdutta@nic.in, दूरभाष- 011 26534823, 011 26590394

<u>सेवा मे</u>
सभी स्टेकहोल्डर्स

<u>प्रतिलिपि:</u> सचिव, डीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव